तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4086/2006/भरतपुर शीतल बनाम लक्ष्मी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-1-2025	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकैश जैन, अभिभाषक प्रार्थी **<u>आदेश</u>** 1— यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रूपवास (भरतपुर) के आदेश दिनांक 25—5—2006 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रार्थी वादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 2— प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई। 3— प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीया को राजस्व वाद का नोटिस तामील होने पर उसकी ओर से दिनांक 21—4—2004 को श्री दामोदरलाल शर्मा, अभिभाषक ने उपस्थित होकर मीमों आफ एपीरियेन्स प्रस्तुत किया। इस प्रकार असल प्रतिवादी की तामील दिनांक 21—4—2004 को हो चुकी है किन्तु असल प्रतिवादी ने इस प्रकरण में अपना लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जबकि कानूनन प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन सम्मन की तामील के तीस दिन में प्रस्तुत करना चाहिए परन्तु यदि प्रतिवादी जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो 90 दिन में प्रस्तुत कर सकेगा। इस प्रकार प्रतिवादी को कानून द्वारा दिया गया समय समाप्त हो चुका है। इस कारण उसको जवाब का अवसर बंद कर देना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित किये है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 25—5—2006 निरस्त किया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 जाब्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4086/2006/भरतपुर शीतल बनाम लक्ष्मी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश व उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन व परिशीलन किया।

5— प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास (भरतपुर) ने अपने आदेश दिनांक 25—5—2006 द्वारा प्रार्थी वादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर उक्त निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में हमने आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी खारिज योग्य है।

6— परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य